

185/CC  
14/07/14

SPEED POST  
RTI MATTER

## समाज कल्याण विभाग

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार  
जी.एल.एन.एस. परिसर, दिल्ली गेट, नई दिल्ली-110002  
(विकलांग कल्याण शाखा)

F.No. 82/1003/RTI/AD-III/DSW/2014/

Dated:

सेवा में,

श्री टोनी राय  
ई. 462, हरदेवपुरी  
गली नं. 5, दिल्ली-110093.

विषय: सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना।  
सन्दर्भ: 157जी. , दिनांक: 20.06.2014 शाखा, समाज कल्याण विभाग, रा.रा.क्षेत्र, दिल्ली।

श्रीमान्,

आपके द्वारा भेजा गया आर.टी.आई. पत्र समाज कल्याण विभाग के विकलांग कल्याण शाखा में दिनांक: 03.06.2014 को प्राप्त हुआ। इस सन्दर्भ में आपको यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 12.02.2014 की अधिसूचना के तहत उत्तरी-पूर्वी जिला के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों के विकलांग निवासियों, जो कि मानसिक विकलांगता/रोग तथा स्नायविक विसंगतियों/सेरेवरल पल्सी से ग्रसित हैं, के लिए निःशक्तता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए गुरु तेग बहादुर अस्पताल को अधिसूचित किया गया है। अस्पताल में कार्य चिकित्सा अधिकारी निःशक्तता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम है।

भवदीय

जन सूचना अधिकारी/सहायक निदेशक  
(विकलांग कल्याण शाखा)

F.No. 82/1003/RTI/AD-III/DSW/2014/

6723

Dated:

11 JUL 2014

सूचनार्थ हेतु प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. संयुक्त निदेशक (आई.टी.), कम्प्यूटर शाखा, समाज कल्याण विभाग, दिल्ली गेट, नई दिल्ली-02 समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

2/11/14

जन सूचना अधिकारी/सहायक निदेशक  
(विकलांग कल्याण शाखा)